केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अनिल माधव दवे के निधन पर शोक जताया

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अनिल माधव दवे के आज नई दिल्ली में हुए दुखद निधन पर शोक जताया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की विशेष बैठक में पारित एक प्रस्ताव में कहा गया है कि उनके निधन से देश ने एक अनुभवी और प्रतिष्ठित राजनेता खो दिया है। उन्होंने संसद के सदस्य और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में कई प्रतिष्ठित पद संभाले। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई और भारत सरकार तथा समूचे राष्ट्र की ओर से शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं प्रकट की गई।

कैबिनेट के प्रस्ताव का मूल पाठ निम्नलिखित है:

श्री अनिल माधव दवे का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन के बड़नगर में छह जुलाई, 1956 में हुआ था। उन्होंने इंदौर के गुजराती कालेज से अपनी एम. कॉम की डिग्री हासिल की। उन्हें ग्रामीण विकास एवं प्रबंधन में विशेषज्ञता हासिल थी।

श्री दवे एक नदी संरक्षणवादी, पर्यावरणविद् और सामाजिक कार्यकर्ता थे। वह एक विपुल लेखक थे, जिन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का लेखन किया था। वह जन अभियान परिषद के संस्थापक थे। उन्होंने मासिक पत्रिका चरेवेती और जाप, जन अभियान परिषद जर्नल का संपादन किया। वह एक प्रशिक्षित पायलट थे। उन्होंने नर्मदा के ऊपर स्रोत से मुहाने तक सेसेना 173 हवाई जहाज उड़ाया था। इसके साथ ही नदी की लंबाई के बराबर 1312 किलोमीटर की राफ्ट यात्रा भी की थी। उन्होंने छत्रपति शिवाजी पर जनता राजा नाम से एक नाटक का आयोजन भी किया। इस नाटक का लंदन के वेम्बले समेत 1000 बार मंचन हुआ।

वह वर्ष 2009 में राज्यसभा के लिए चुने गए और संसद की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे। इसमें जल संसाधन समिति और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की सलाहकार समिति शामिल है। वह ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन पर संसदीय फोरम के सदस्य भी रहे। वर्ष 2016 में वह एक बार फिर राज्यसभा के लिए चुने गए और उन्हें केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बनाया गया।

श्री अनिल माधव दवे सही मायने में एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्हें गरीबों और वंचितों के प्रति सहानुभूति के लिए जाना जाता था। एक पर्यावरणविद होने के नाते, उन्होंने नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए अथक कार्य किया। वह एक सच्चे राष्ट्रवादी थे और उन्होंने अपनी सार्वजनिक जिम्मेदारियों को विनम्रता और अनुग्रह से संभाला। उनके निधन से राष्ट्र ने मध्य प्रदेश से आने वाला एक प्रख्यात नेता खो दिया है।

महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा विकसित लापता बच्चों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुरूप लापता बच्चों का पता लगाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया विकसित की है। न्यायालय ने 13 जनवरी, 2015 को 2012 केबचपन बचाओ आंदोलन विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य की समादेश याचिका (दीवानी अदालत) संख्या 75 के मामले में यह निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत ने पाया था कि लापता बच्चों का पता लगाने के लिए राज्योंद्वारा कई मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) विकसित की गई है। न्यायालय ने इसलिए मंत्रालय को एक आदर्श एसओपी तैयार करने के लिए टीआईएसएस की मदद लेने का निर्देश दिया था, जिसका उपयोग देश भर मेंएकसमान प्रक्रिया का पालन कर लापता बच्चों के मामलों से निपटने के लिए सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जा सकता है। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) आदर्श नियम 2016 के अनुरूप लापता बच्चों का पता लगाने के लिए इस एसओपी को अंतिम रूप दिया गया है। एसओपी के जरिये मुख्य रूप से लापता बच्चों का पतालगाने और उन्हें बरामद करने के बाद उनके पुनर्वास का कार्य किया जाता है। इसमें पुलिस, बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) और किशोर न्याय बोर्डो (जेजेबी) जैसे विभिन्न हितधारकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियांपरिभाषित की गई है।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) आदर्श नियम 2016 के नियम 92(1) में लापता बच्चे को इस प्रकार परिभाषित किया गया है ड्ढ किसी भी परिस्थिति या कारण से लापता ऐसा बच्चा जिसके माता-पिता,कानूनी अभिभावक या कोई अन्य व्यक्ति अथवा उस बच्चे को कानूनी तौर पर जिस संस्थान को सौंपा गया है, उन्हें उसके बारे में कोई जानकारी न हो और जब तक उसका पता नहीं लगा लिया जाता उसकी देखभाल औरसंरक्षण की आवश्यकता या उसकी सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित नहीं होता, उसे लापता माना जाएगा। मानक संचालन प्रक्रिया का उद्देश्य हितधारकों के साथ समन्वय कर कार्य करना, लापता बच्चों के मामले में तुरन्त कार्रवाई करना, लापता बच्चों के संबंध में जागरूकता और मूलभूत समझ बढ़ाना, बच्चों की असुरक्षाओं बाल संरक्षण, बच्चों को ढूंढने में शामिल महत्वपूर्ण हितधारकों के लिए व्यापक संचालन प्रक्रिया प्रदान करना, उनके परिजनों को ढूंढना, उनके परिवार से मिलवाना, सामाजिक पुनर्मिलन पुनर्वास और संरक्षण कार्य,लापता/पाये गये/खोजे गये बच्चों और खतरे में फंसे कमजोर बच्चों के अन्य समूह की सभी श्रेणियों के साथ मिलकर प्रभावी कार्य करना, अभियोजन सहित प्रभावी कानूनों का तेजी से अनुपालन सुनिश्चित करना, लापता बच्चोंको आगे और पीड़ित होने से बचाने के लिए तंत्र और प्रणालियां तैयार करना तथा पीड़ित/गवाहों को उचित और समय पर सुरक्षा/देखभाल/ध्यान देना सुनिश्चित करना है।

सीआईसी सूचना का अधिकार के कार्यान्वयन पर कल सम्मेपलन आयोजित करेगा

केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) कल यहां सूचना का अधिकार के कार्यान्वयन पर सम्मेलन आयोजित कर रहा है। मुख्य सूचना आयुक्त श्री राधा कृष्ण माथुर उद्घाटन संबोधन देंगे और सीईसी के सूचना आयुक्त प्रोफेसर एम.श्रीधर आचार्युलु 'लोक सेवक की निजता की गुंजाइश' विषय पर चर्चा करेंगे। सीआईसी के सूचना आयुक्त श्री यशोवर्धन आजाद समापन सत्र को संबोधित करेंगे।

सम्मेलन के दौरान शिक्षाविद, शोधार्थी, गैर सरकारी संगठन/नागरिक समाज समूह और अन्य हितधारक मामलों के अध्ययन सहित पूरी तरह से शोध की हुई मूल प्रस्तुतियां पेश करेंगे। प्रख्यात वक्ताओं में लोक सूचना के अधिकार के लिए राष्ट्रीय अभियान (एनसीपीआरआई) की सह-संयोजक सुश्री अंजली भारद्वाज, राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल (सीएचआरआई) के निदेशक श्री संजॉय हजारिका, एनसीपीआरआई की सदस्य सुश्री अमृता जोहरी, सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता श्री एस.सी अग्रवाल, सीआरआरआई के श्री वेंकटेश नायक, माहिती अधिकार गुजरात पहल की सुश्री पंक्ति जोग, सावित्री महिला कॉलेज, ओडिशा में राजनीति शास्त्र विभाग में व्याख्याता डॉ. सुशांत कुमार मलिक, महिती हक अध्ययन केंद्र के न्यासी श्री बी एच विरेषा, उत्तर प्रदेश राज्य संसाधन व्यक्ति (आरटीआई) श्री राजेश मेहतानी, भारत संचार निगम लिमिटेड में वरिष्ठ दूरसंचार कार्यालय सहायक श्री दीपक सिंह और कमोडोर (सेवानिवृत्त) लोकेश बत्रा होंगे। प्रस्तुतियां सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के कार्यान्वयन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केन्द्रित होंगी।

संपादक-चुनीलाल एस. भट्ट, मुद्रक एवं प्रकाशक-मयुर सी. भट्ट, प्रकाशन स्थल-201, 202, 208 नंदन कोम्पलेक्स, मीठाखली, अहमदाबाद-6. मालिक-कल्याणी पब्लिकेशन प्रा.लि. द्वारा महादेव ऑफसेट, बी-4, रवि एस्टेट, रुस्तम मिल कम्पाउंड, दूधेश्वर, अहमदाबाद में छपवाकर प्रकाशित किया। फोन-26568477, 26409779.
E : alpaviram1@yahoo.com

राज्यों द्वारा दिव्यांगों से जुड़े मामलों के लिये अलग विभाग बनाये जाएंगे

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थॉवरचंद गहलोत ने 'दिव्यांग जन अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन पर राज्य आयुक्तों को 15वीं राष्ट्रीय समीक्षा बैठक' को संबोधित करते हुए बल दिया कि राज्यों को दिव्यांग व्यक्तियों से जुड़े मामलों के लिए अलग से विभाग बनाना/स्थापित करना चाहिए। इसके लिए दिव्यांग जन अधिनियम 1995 के प्रावधानों के अनुरूप पूर्णकालिक स्वतंत्र राज्य आयुक्त की नियुक्ति की जानी चाहिए, ताकि अधिनियम के साथ ही समाज में दिव्यांग जन के लिए कल्याण कार्यक्रम और शिक्षण योजनाओं, प्रशिक्षण, कौशल विकास और पुनर्वास योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन किया जा सके।

श्री गहलोत ने दो दिन की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। इसमें 11 राज्य आयुक्त, राज्य आयुक्तों/राज्य सरकारों के 15 प्रतिनिधि और समाज कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय मंत्रालयों और राष्ट्रीय निकायों के प्रतिनिधि शामिल हुये थे। उन्होंने कहा कि अधिनियम में बताये गये दिव्यांग जनों के अधिकारों और उनके विशेषाधिकारों की सुरक्षा कर देश के दिव्यांग जनों को सशक्त और सुदृढ़ करना अति आवश्यक है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय समाज में दिव्यांग जनों के सम्मानीय जीवन के लिए बेहतर शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और पुनर्वास के वास्ते किये गये प्रयासों के कारण केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों में सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने दिव्यांग जनों के लिए सहायता उपकरण वितरित करने, सभी प्रकार के विकास के लिए अभिनव कार्यक्रमों और योजनाओं का शुभारंभ करने तथा समाज में उनके सामाजिक आर्थिक पुनर्वास करने में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। मंत्रालय के कार्यक्रमों और योजनाओं को विश्व स्तर पर मान्यता और सराहना मिली है तथा यह भारत सरकार का आदर्श मंत्रालय बन गया है। दिव्यांग जन अधिनियम 2016 के नये अधिकारों के प्रावधानों को रेखांकित करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि दिव्यांगता की मौजूदा सात श्रेणियों को बढ़ाकर 21 कर दिया गया है और अब दिव्यांग जन के विशेषाधिकारों और अधिकारों को विकसित देशों के समान कर दिया गया है।

टोटल ड्रीमर के बारे में छह रोचक तथ्य

सुपरहिट टेलीविज़न शो टोटल ड्रीमर के ब्राज़ील और पुर्तगाल में 30 मिलियन से अधिक दर्शक थे। भारत में शुरू होनेवाला यह पहला ब्रज़ीलिआई शो है जो हर सोमवार से शनिवार हिंदी में ज़िंदगी पर प्रसारित होता है और आजकल अपने अलग से विषय से भारतीय दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ज़िंदगी के चाहनेवाले अपने पसंदीदा शो के ओरिजिनल एपिसोड को देखने से चूक ना जायेंए टोटल ड्रीमर अब एक ही दिन में दो बार प्रसारित होगा क्रमशः दोपहर 2 बजे और रात 9 बजे के समय पर सिर्फ़ज़िंदगी पर प्रसारित किया जायेगा।

टोटल ड्रीमर साधारण सी ज़िंदगी बिताने वाली एक खूबसूरत लड़की एलिज़ा मरीना रुय बर्बोसा की कहानी है। उसका सबसे बड़ा सपना अपने परिवार को एक बेहतर ज़िंदगी देना है। वो अपनी माँए भाई.बहन और सौतेले पिता के साथ रहती है। अपनी माँए गिल्डा की मदद से एलिज़ा अपने सौतेले पिता के द्वारा तंग किए जाने के बाद बड़े शहर में अपनी किस्मत आज़माने के लिए घर से भाग जाती है। उसकी ज़िंदगी में तब नाटकीय मोड़ आता है जब उसकी मुलाक़ात एक मॉडलिंग एजेंसी. एक्सकेलिबर के मालिकए आर्थर फैबीयो असुशिओन से होती है। जो उसे एक क़ामयाब मॉडल बना देने का वादा करता है। (19-8)

गोएयर को एयरबस की ओर से तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ परिचालन उत्कृष्टता पुरस्कार

अहमदाबाद, भारत की एक बहुत तेज़ी से विकसित होती हुई एयरलाइन, गोएयर ने बर्लिन में ए320 समूह 2017 संगोष्ठी में छोटे/मध्यम आकार के हवाई जहाज़ों की श्रेणी में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ परिचालन के प्रदर्शन का पुरस्कार प्राप्त किया है। ऐसा लगातार तीसरी बार हुआ है कि गोएयर को एयरबस की ओर से ऐसा पुरस्कार मिला है। एयरबस की ओर से दिया गया यह पुरस्कार प्रत्येक क्षेत्र में और विश्वभर में बेड़े के उपयोग और प्रदर्शन की उपलब्धियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य विमानन उद्योग के बीच दो तरफा बात-चीत को सुविधाजनक बनाना है, जिससे अंततः, और अधिक सुरक्षित एवं कुशल बेड़े संभव हो सकें।

इस पुरस्कार को प्राप्त करने पर अपना आभार व्यक्त करते हुए, वुल्फगैंग प्रॉक-शौयर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गोएयर ने कहा, गोएयर में हम सभी लोग ए320 समूह संगोष्ठी 2017 में प्राप्त हुए पुरस्कारों की हैटट्रिक की उपलब्धि से गर्व महसूस कर रहे हैं। ना केवल अपने लाभकारी एवं अभिनवकारी उत्पादों के साथ, बल्कि अपने ग्राहकों को परिचालन की उत्कृष्टता और संतुष्टि प्रदान करने के द्वारा भी हमेशा से हमारी आकांक्षा इस उद्योग में अग्रणी बने रहने की रही है। इस पुरस्कार को लगातार तीसरी बार जीतना गोएयर की सम्पूर्ण टीम के द्वारा किए गए अतुल्य प्रयासों का ही परिणाम रहा है। (3-1)

मोंटेकार्लो द्वारा गर्मी में लांच किये गये इन रंगों से होगा ठंडक का एहसास

मई के महीने में गर्मी अपने चरम पर होती हैए ऐसे में फैशन प्रेमी ऐसे परिधानों को पहनना पसंद करते हैं जो इस मौसम में उनको ठंडक का एहसास कराये। मोंटेकार्लो ऐसे ही लोगों की रुचियों को ध्यान में रखते हुए नये रंगों की एक खास पेशकश लेकर आया है जो गर्मी में ठंडक का एहसास करायेंगे।

इस गर्मी मेंए उजले और हल्के रंगों का मिश्रण अधिक पसंद किया जाता हैए जो कि बहुत ही आकर्षक लगता है।

ऽजैसे गर्मी बढ़ती है लोग इस तरह के रंगों को पसंद करते हैं जो पहनने में आरामदायक होने के साथ.साथ आंखों को भी सुकून देता हो। एक तरफ़जहां लोग इस मौसम में केवल सफेद कपड़ों की तरफध्यान देते हैं वहीं दूसरी तरफ इस सीजन में पीचए विजए मिंट ग्रीनए प्रेस्ट ली पिंकए स्का.ई ब्लू ए लेमन येलो और कोरल जैसे रंग भी बहुत पसंद किये जा रहे हैं। मोंटेकार्लो के समर कलेक्शन में इस बार हमने इन नये आकर्षक रंगों को शामिल किया है जो पुरुष और महिला दोनों के लिए हैं। ये कलेक्शन फैशन के प्रति जागरूक लोगों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है जो कि बहुत ही आकर्षक है।ऽ ये बातें मोंटेकार्लो की कार्यकारी निदेशक सुश्री मोनिका ओसवाल ने कहा। (19-10)

भारतीय कृषि अनसंधान परिषद के वैज्ञानिक कार्मिकों के संबंध में स्थीनांतरण नीति के कार्यान्विन के लिए ऑन-लाइन स्थानांतरण आवेदन मॉड्यूल पर ब्रीफ

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि में समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन अनुसंधान एवं शिक्षा का शीर्ष निकाय है। परिषद पूरे देश भर में स्थित अनुसंधान संस्थानों में अपने अनुसंधान कार्यकलापों की निरंतर समीक्षा कर रही है और ग्रामीण लोगों की निर्धनता को कम करने तथा समग्र कृषि विकास को तेज करने के लिए दीर्घकालिक विकास कार्यनीति तैयार कर रही है। ये कार्यकलाप सभी संस्थानों में तैनात वैज्ञानिक श्रेणी के कार्मिकों सहित सभी कर्मियों द्वारा किए जाते हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भाकृअप) के वैज्ञानिक कार्मिकों के लिए अंतर-संस्थान स्थानांतरण के लिए प्रावधान विद्यमान हैं; और स्थानांतरण को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देश 17 नवम्बर, 1980 को बनाए गए थे। तत्पश्चात, वैज्ञानिक कार्मिकों से संबंधित स्थानांतरण नीति के कार्यान्वयन में सहायता के लिए किए गए संशोधनों को शामिल करने हेतु इन दिशा-निर्देशों में आंशिक संशोधन किए गए थे।

वैज्ञानिक कार्मिकों के स्थानांतरण के दिशा-निर्देशों की समीक्षा तथा लागू स्थानांतरण दिशा-निर्देशों में शामिल विभिन्न पैरामीटर को स्पष्ट करने की पहल की गई तथा इसमें पुराने स्थानांतरण दिशा-निर्देशों में शामिल अस्पष्टता को समाप्त करने और कार्मिकों के स्थानांतरण संबंधी भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप मौजूदा प्रावधानों को इसमें शामिल करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया। इस बीच, स्थानांतरण नीति के कार्यान्वयन में शामिल तेजी से निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और सहायता के लिए, केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री एवं अध्यक्ष, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के आदेश पर भाकृअप में ऑन-लाइन स्थानांतरण आवेदन माड्यूल कार्यान्वित करने की परिकल्पना की गई थी।

स्थानांतरणों के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और तेजी लाने के लिए ऑन लाइन माड्यूल के कार्यान्वयन की परिकल्पना की गई थी; और तदनुसार, अंतर-संस्थान स्थानांतरण को विनियमित करने के लिए संशोधित दिशा-निर्देश तैयार किए गए थे जिनमें उन क्षेत्रों के वर्गीकरण पर विशिष्ट पैरामीटर शामिल थे, जिनमें संस्थान स्थित थे और वैज्ञानिकों के अंतर-संस्थान स्थानांतरण के प्रावधान का उपयोग करने के लिए तैनाती के कार्यकाल से संबंधित विशिष्ट पैरामीटर थे, इन दिशा-निर्देशों में विभिन्न पैरामीटरों को उचित महत्व दिया गया है जिससे तब निर्णय लेने में सहायता मिलेगी जब उस वैज्ञानिक द्वारा ऑन-लाइन कार्यान्वयन किया जाएगा जो इस प्रावधान का उपयोग करना चाहता है।

ऑन-लाइन मोड के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए, दुर्गम क्षेत्रों और अन्य स्थानों में स्थित संस्थानों के लिए प्रचालन प्रक्रिया को उपयोगकर्ता के अनुरूप पहुंच और कार्यान्वयन योग्यता पर फोकस के साथ विशेष रूप से परिभाषित किया गया था।

वर्कफ्लो आधारित स्थानांतरण आवेदन माड्यूल में इस प्रयोजन के लिए विकसित स्थानांतरण चक्र के 5 प्रकार शामिल हैं और भाकृअप कार्मिक प्रबंधन सूचना प्रणाली के ऑन-लाइन माड्यूल के माध्यम से सुलभ है जो विकसित की गई है और पूरी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में कार्यान्वित की गई है।

मनीषा कोइराला द कपिल शर्मा शो पर अपनी कोस्टार से फिर मिली!

द कपिल शर्मा शो कुछ सबसे प्रसिद्ध सेलेब्रिटीज को आमंत्रित करने के लिए जाना जाता है, बॉलीवुड से लेकर खेल तक, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों से लेकर राजनीतिज्ञों तक। इस सप्ताह, बॉलीवुड नायिक मनीषा कोइराला ने अपनी आने वाली फिल्म डियर माया का प्रचार करने के लिए इस सेट की शोभा बढ़ाई।

मज़ा, सामान्य बातें और सबसे मिलने के अलावा, यह अदाकारा कई सालों बाद अपनी एक कोस्टार से मिली। यह और कोई नहीं बल्कि सरला यानि सुमोना चक्रवर्ती हैं, जिन्होंने मनीषा कोइराला के साथ फिल्म मन में स्क्रीन साझा की थी।

सेट के एक स्रोत ने बताया, सुमोना चक्रवर्ती के लिए यह वाकई यादों में खोने वाला एक पल था, जो अपने शो के सेट पर मनीषा को देखकर काफी खुश थीं। 1999 में, सुमोना को मनीषा के साथ स्क्रीन साझा करने का अवसर मिला था। 18 साल के बाद, दूसरी बाद उन्हें स्क्रीन पर मनीषा के साथ देखा गया। इन दोनों ने मन में काम करने के अपने अनुभवों के बारे में बात की और शूट के दौरान दोनों ही बीते दिनों की बातें करती रहीं।

देखें द कपिल शर्मा शो, हर शनिवार और रविवार, सुबह 9 बजे, सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर! (19-10)

मस्तीभरे रविवार को देखें कॉमेडी बादशाह 21 मई दोपहर 3.30 बजे

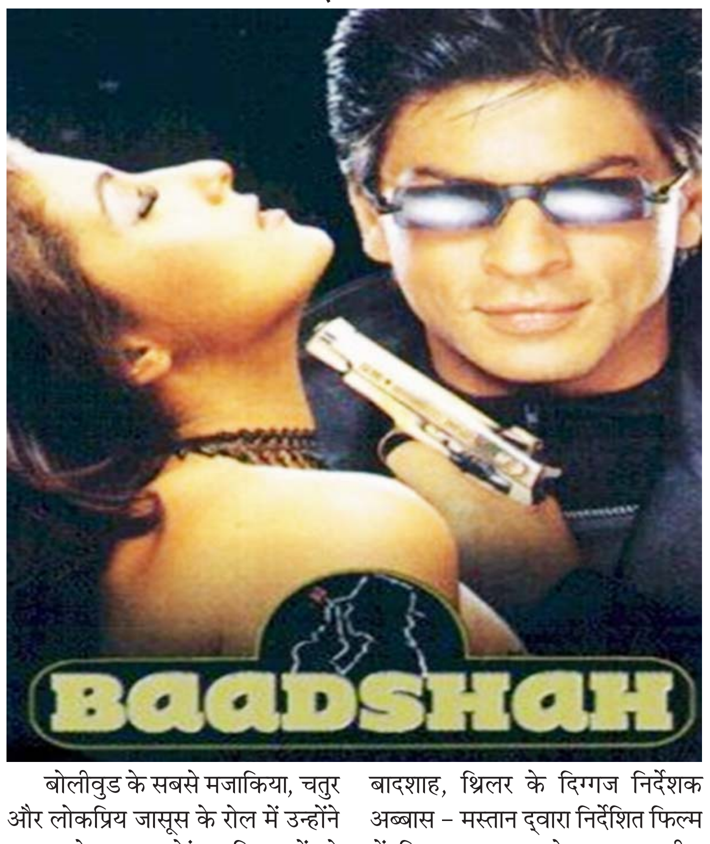

बॉलीवुड के सबसे मजाकिया, चतुर और लोकप्रिय जासूस के रोल में उन्होंने एक्शन से भरपूर मनोरंजन फिल्म में जो काम किया है वह आज भी हमारा मनोरंजन कर रहा है।वो जमाना कर दिवाना की ब्रान्ड विचारधारा के साथ जी क्लासिक, रविवार 21 मई 3.30 बजे लेकर आ रहा है एक्शन कॉमेडी फिल्म बादशाह, थ्रिलर के दिग्गज निर्देशक अब्बास - मस्तान द्वारा निर्देशित फिल्म में ट्विन्कल खन्ना के साथ अमरीश पुरी, राखी, जोनी लिवर, अवतार गिल एवं पंकज धीर सहायक भूमिका में है।

देखें शाहरुख खान को बादशाह में 21 मई 3.30 बजे जी क्लासिक पर (19-8)

वीआईपी के नकली उत्पादन बरामद

अहमदाबाद, इसनपुर पुलिस स्टेशन ने बस-स्टैंड के पास स्थित माहेश्वरी और अनमोल बैग हाउस पर छापा मारकर वीआईपी ब्रांड से रखे और बेचे जा रहे नकली उत्पादन बरामद किये। इस छापे के दौरान पुलिस को दोनों जगहों से स्काईबेग बैकपैक्स के नकली बैग बरामद हुए है जो वीआईपी ब्रांड से रखे और बेचे जा रहे थे।

इस सिलसिले में पुलिस ने चेतन राठी को अनमोल बैग हाउस और विक्रम शंकरलाल माहेश्वरी को माहेश्वरी बैग हाउस से हिरासत में लिया है और उन दोनों के खिलाफ इसनपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। इन नकली उत्पादनों को पकड़ने में श्री एम. एन. जाला- इंस्पेक्टर ऑफ़ पुलिस, श्री एम. डी. पांचाल - सब इंस्पेक्टर ऑफ़ पुलिस, श्री कुलदीप सिंह हरुवा, श्री अशरफ इस्माईलभाई, श्री वीरभद्र सिंह, श्री मजबूत सिंह और घनश्याम सिंह - पुलिस कांस्टेबल तथा इसनपुर पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों ने सहयोग किया। (19-8)

पश्चिम रेलवे द्वारा बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध सघन अभियान अप्रैल, 2017 में 2 लाख 60 हजार प्रकरणों में 12.18 करोड़ रु. राजस्व की प्राप्ति

पश्चिम रेलवे द्वारा अप्रैल, 2017 में बिना टिकट/अनियमित टिकट पर यात्रा करने वालों के विरुद्ध सघन अभियान चलाया गया। इसके परिणामस्वरूप बिना बुक किये गये सामान के प्रकरणों सहित बिना टिकट यात्रा/अनियमित यात्रा के लगभग 2 लाख 60 हजार मामले पकड़े गये। इन मामलों से 12.18 करोड़ रु. जुर्माने स्वरूप प्राप्त किये गये। इस माह के दौरान, आरक्षित टिकटों के हस्तांतरण के 23 मामले पकड़े गये। इसके अतिरिक्त 1035 भिखारियों तथा अनधिकृत फेरीवालों को रेल परिसर से बाहर किया गया तथा जुर्माना वसूल किया गया। 149 व्यक्तियों को जेल भेजा गया।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री रविंद्र भाकर द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अप्रैल, 2017 के दौरान, दलालों तथा असामाजिक तत्वों के विरुद्ध पश्चिम रेलवे द्वारा 195 जाँचें आयोजित की गईं। इनके परिणामस्वरूप 111 व्यक्तियों को पकड़ा गया तथा रेल अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा चलाकर उनसे जुर्माना प्राप्त किया गया। अप्रैल, 2017 के दौरान, सुरक्षित दस्ते द्वारा 12 वर्ष से अधिक उम्र के 110 स्कूली बच्चों को उपनगरीय ट्रेनों के महिला डिब्बों में सफ़र करते हुए पाया गया, जिन्हें वहाँ से हटाया गया। पश्चिम रेलवे द्वारा बिना टिकट यात्रा करने वालों के विरुद्ध नियमित रूप से ऐसे सघन अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाती रही है। अपने अधिकृत रेल उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा बिना टिकट यात्रा में कमी लाने के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे द्वारा हमेशा कारगर कदम उठाये जाते रहे हैं। पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बिना टिकट यात्रा के कारण होने वाली राजस्व क्षति तथा इस तरह की अन्य अनियमितताओं पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों से अपील की गई है कि वे उचित टिकट खरीदकर सम्मान के साथ यात्रा करें।

सिरोही रोड-आबू रोड के बीच दोहरीकरण कार्य के लिए इंजीनियरिंग ब्लाक से 19 से 24 मई तक कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेंगी

उत्तर पश्चिम रेलवे के सिरोही रोड- आबू रोड रेलखण्ड के स्वरूपगंज व भिमाना स्टेशनों के मध्य दोहरीकरण कार्य के लिए दिनांक 19 मई से 24 मई तक इंजीनियरिंग ब्लॉक लिया जायेगा। इस कारण निम्न ट्रेनें प्रभावित रहेंगी।

ट्रेन सं.19411 अहमदाबाद - अजमेर एक्सप्रेस (पांच ट्रिप) दिनांक 19 से 23 मई तक निरस्त रहेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 19412 अजमेर-अहमदाबाद एक्सप्रेस (पांच ट्रिप) दिनांक 20 से 24 मई तक निरस्त रहेगी। इसी तरह ट्रेन सं. 54803 जोधपुर- अजमेर पैसेंजर दिनांक 19 से 23 मई 2017 तक (कुल पांच ट्रिप) मारवाड जं. व अहमदाबाद के मध्य निरस्त रहेगी। इसी क्रम में ट्रेन सं. 54805 अहमदाबाद- जयपुर पैसेंजर दिनांक 19 से 23 मई 2017 तक (कुल पांच ट्रिप) अहमदाबाद व मारवाड़ जं. के बीच निरस्त रहेगी। ट्रेन संख्या 54806 जयपुर- अहमदाबाद पैसेंजर दिनांक 19 से 23 मई 2017 तक (कुल पांच ट्रिप) मारवाड़ व अहमदाबाद जं. के बीच निरस्त रहेगी तथा ट्रेन संख्या 54804 अहमदाबाद- जोधपुर पैसेन्जर दिनांक 20 से 24 मई 2017 तक (कुल पांच ट्रिप) अहमदाबाद व मारवाड़ जं. के बीच निरस्त रहेगी।

दिनांक 3 व 10 जून की चेन्नई-अहमदाबाद स्पेशल के नम्बर में बदलाव

रेल प्रशासन द्वारा दिनांक 3 जून व 10 जून 2017 को चेन्नई से चलनेवाली ट्रेन संख्या 06045 चेन्नई सेन्ट्रल-अहमदाबाद स्पेशल (विशेष किराए के साथ) को नये नंबर 82611 चेन्नई सेन्ट्रल-अहमदाबाद सुविधा स्पेशल के रूप में चलाई जायेगी।

उत्तर पश्चिम रेलवे
ई-निविदा सूचना
सं. : एसएण्डटी-जेयू-05-2017-18
भारत के राष्ट्रपति की ओर से और उनके लिए मंडल रेल प्रबंधक/सं.व.दू.उ.प.रे., जोधपुर द्वारा निम्नलिखित सिगनलिंग एवं टेलीकॉम सम्बन्धी कार्य हेतु मुहरबंद ई निविदाएं आमंत्रित की जाती है। **कार्य का नाम :** जोधपुर मंडल के लूनी-मारवाड़ जंक्शन खण्ड में 4 क्वैड केबिल को 6 क्वैड केबिल में बदलने का कार्य। **कार्य की अनुमानित लागत :** रु. 8067277/- **ई निविदा जमाकर्ता कार्यालय का पूर्ण पता :** वरि. मंडल सिगनल एवं दूरसंचार इंजी. मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय हरीश जोशी मार्ग जोधपुर। **बयाना राशि (EMD) :** रु. 161350/- **ई निविदा प्रपत्र जमा कराने एवं खुलने की तारीख व समय :** 20.06.2017 को 15.00 बजे तक। तथा ई टेंडर ऑन लाईन आई आर ई पी एस 15.00 बजे बन्द होने के तुरन्त बाद खोली जायेगी। **वेबसाइट का विवरण एवं नोटिस बोर्ड व कार्यालय जहाँ से टेण्डर का विवरण देखा जा सके एवं खरीद की जा सके। : www.ireps.gov.in** **नोट :** यह एक ई टेण्डर है इसलिए इसमें भाग लेने के लिए ठेकेदार ई टेण्डरिंग के द्वारा उल्लेखित वेबसाईट पर टेण्डर डालें। **न्यूनतम मापदण्ड :** निविदा प्रपत्र अनुसार।
420-JA/17
Please join us on /NWRailways

सूचना
कृपया आपके विज्ञापन व समाचार हमारे निम्न लिखित ई-मेल पर ही भेजें :
alpaviram@gmail.com